CANCELLED
दो रुपये TWO RUPEES

<u>न्यायालय में माननीय सदस्यगण, म0प्र0 राजस्व मंडल, ग्वालियर</u>

<u>**सर्किट बैंच रीवा, म0प्र0**</u>

231

II/निग0/अरिया/2018/0148

CANCELLED CANCELLED CANCELLED
FIVE RUPEES

10/-

1 जयपाल सिंह आयु 28 वर्ष पिता स्व0 गया सिंह गोंड़
2 श्रीमती शांती बाई आयु 56 वर्ष पति स्व0 गया सिंह गोंड़
3 ममता सिंह आयु 24 वर्ष पिता स्व0 गया सिंह गोंड़

अधिवक्ता श्री राजकुमार ... 26.12.17

सभी निवासी–ग्राम बड़ार, तहसील मानपुर, थाना मानपुर,
जिला उमरिया, म0प्र0 —— निगरानीकर्तागण

बनाम

म0प्र0 शासन, जरिये कलेक्टर उमरिया, म0प्र0 —— उत्तरवादी

<u>निगरानी विरूद्ध–माननीय अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर उमरिया, जिला उमरिया, म0प्र0 के मामला कमांक 05/स्व0 निगरानी/2014–15 में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2017, अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959</u>

महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्न–लिखित विनय है:–

<u>संक्षेप में प्रकरण के तथ्य</u>

1 यह कि निगरानीकर्तागण ग्राम बड़ार, थाना व तहसील मानपुर, जिला उमरिया म0प्र0, के मूल निवासी हैं एवं गोंड़ जाति के होनें के कारण म0प्र0 की अनुसूचित जनजाति के हैं एवं गरीब व मजदूर वर्ग के होकर बनी मजदूरी करके अपने परिवार व बाल बच्चों का भरण–पोषण करते हैं।

26.12.17

जयपाल सिंह

(6)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2018/0148 जिला–उमरिया

जयपाल सिंह/ शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
5-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामकुमार सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 05/स्व0 निगरानी/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	